भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2459

06 अगस्त, 2024 को उत्तरार्थ

विषय: किसानों द्वारा आत्महत्या की घटनाएं

2459. डॉ. बच्छाव शोभा दिनेशः

क्या **कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या विभिन्न पुनर्वास और ऋण माफी पैकेजों के कार्यान्वयन के बावजूद देश के विभिन्न भागों से किसानों द्वारा आत्महत्या की घटनाएं सामने आई हैं;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;
(ग) वर्तमान वर्ष के दौरान अब तक किसानों द्वारा आत्महत्या किए जाने की कितनी घटनाओं की सूचना मिली है;
(घ) क्या सरकार का विचार किसानों को सहायता प्रदान करने तथा उन्हें आत्महत्या करने से रोकने के लिए अन्य अतिरिक्त उपाय करने का है, और
(ङ) यदि हां, तो महाराष्ट्र सहित तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) से (ङ): गृह मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी), अपने प्रकाशन 'एक्सीडेंटल डेथ्स एंड सुइसाइड्स इन इंडिया' (एडीएसआई) में आत्महत्याओं पर सूचना संकलित और प्रसारित करता है। वर्ष 2022 तक की रिपोर्ट एनसीआरबी की वेबसाइट (https://ncrb.gov.in) पर उपलब्ध है।

कृषि राज्य का विषय होने के कारण भारत सरकार यथोचित नीतिगत उपायों और बजटीय सहायता तथा विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के माध्यम से राज्यों के प्रयासों में सहायता करती है। खेती को अधिक लाभकारी बनाने तथा किसानों के कल्याण और आर्थिक रूप से अधिक सुरक्षित बनाने की दृष्टि से भारत सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं/कार्यक्रमों का विवरण अनुबंध पर दिया गया है।

अनुबंध

वर्ष 2014 से कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की प्रमुख उपलब्धियाँ

1. बजट आवंटन में अभूतपूर्व वृद्धि: वर्ष 2013-14 में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग का बजट आवंटन मात्र 21933.50 करोड़ रूपये था। वर्ष 2024-25 में यह 5.5 गुना से अधिक बढ़कर 1,22,528.77 करोड़ रूपये हो गया।

2. पीएम किसान के माध्यम से किसानों को आय सहायता: वर्ष 2019 में पीएम-किसान का शुभारंभ - यह 3 समान किस्तों में प्रति वर्ष 6000 रुपये प्रदान करने वाली आय सहायता योजना है। अब तक 11 करोड़ से अधिक किसानों को 3.24 लाख करोड़ रुपये से अधिक जारी किए गए हैं।

3. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई): आठ वर्ष (अनंतिम) - पीएमएफबीवाई को किसानों के लिए उच्च प्रीमियम दरों और कैपिंग के कारण बीमा राशि में कमी की समस्याओं का समाधान करते हुए वर्ष 2016 में शुरू किया गया था। कार्यान्वयन के पिछले 8 वर्षों में 62.60 करोड़ किसान आवेदन नामांकित हुए और 17.80 करोड़ से अधिक (अनंतिम) किसान आवेदकों को 1,60,838 करोड़ रुपये से अधिक के दावे प्राप्त हुए हैं। इस दौरान किसानों द्वारा प्रीमियम के अपने हिस्से के रूप में लगभग 32,280 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया था, जिसकी तुलना में उन्हें 1,63,518.70 करोड़ रुपये (अनंतिम) से अधिक दावों का भुगतान किया गया है। इस प्रकार किसानों द्वारा भुगतान किए गए प्रत्येक 100 रुपये के प्रीमियम के लिए उन्हें लगभग 498 रूपये दावे के रूप में प्राप्त हुए।

डिजीक्लेम- दावों की गणना और भुगतान में पारदर्शिता के लिए, पीएफएमएस प्लेटफॉर्म का उपयोग करके राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल (एनसीआईपी) के माध्यम से सीधे किसान के खाते में दावों के भुगतान के लिए दावा भुगतान मॉड्यूल को खरीफ 2022 सीज़न के दावों से कार्यान्वयन के लिए लॉन्च किया गया है। सभी दावों का भुगतान अब बीमा कंपनियों द्वारा डिजीक्लेम के माध्यम से सीधे किसानों को किया जाता है।

सारथी- सैंडबॉक्स फ़ॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल सिक्यॉरिटी, टेक्नॉलजी एंड इंश्योरेन्स: यह सरकार द्वारा परिकल्पित एक इनोवेटिव कदम है। इसका प्राथमिक लक्ष्य कृषक समुदाय के सामने आने वाले बहुमुखी पर्यावरणीय, सामाजिक और शासन (ईएसजी) जोखिमों के खिलाफ वित्तीय लचीलापन बढ़ाना है। इस ख़ास प्लेटफ़ॉर्म का लक्ष्य पारंपरिक फसल बीमा के कार्यक्षेत्र से आगे बढ़ते हुए मुख्य रूप से किसानों और ग्रामीण भारत के लिए तैयार किए गए बीमा उत्पादों का एक व्यापक स्थान प्रदान करना है।

केआरपीएच- पीएमएफबीवाई के तहत किसानों के लिए कुशल शिकायत निवारण तंत्र बनाने के लिए कृषि रक्षक पोर्टल और हेल्पलाइन शुरू की गई है। राष्ट्रीय स्तर पर शंका समाधान और शिकायत निवारण की सुविधा के लिए एक समर्पित केंद्रीकृत टोल फ्री नंबर 14447 लॉन्च किया गया है। शिकायत दर्ज होने पर, एक यूनीक टिकट नंबर बनाया जाता है, जिसके माध्यम से शिकायतकर्ता अपनी शिकायत की प्रगति को ट्रैक कर सकता है। शिकायत का समाधान निर्धारित समय सीमा के भीतर किया जाना आवश्यक है। इससे राज्य और केंद्र सरकार को शिकायतों की निगरानी करने में भी मदद मिलेगी।

4. कृषि क्षेत्र के लिए संस्थागत ऋण

" कृषि के लिए संस्थागत ऋण लक्ष्य वर्ष 2014-15 में 8 लाख करोड़ रुपये से 2.5 गुना से अधिक बढ़कर वर्ष 2023-24 में 20 लाख करोड़ रुपये हो गया है।
" किसानों को संस्थागत स्रोतों से अल्पकालिक कृषि ऋण प्राप्त करने में मदद करने के लिए आसान और रियायती फसल-ऋण का वितरण वर्ष 2014-15 में 6.4 लाख करोड़ रूपये से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 14.79 लाख करोड़ रूपये हो गया है।
" केसीसी के माध्यम से किसानों को दी जाने वाली ब्याज सब्सिडी वर्ष 2014-15 में 6000 करोड़ रुपये से 2.4 गुना बढ़कर वर्ष 2023-24 में 14252 करोड़ हो गई है।
" कृषि ऋण लेने वाले छोटे और सीमांत किसानों के खातों की संख्या 2014-15 में 57% से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 76% हो गई है।

5. उत्पादन लागत का डेढ़ गुना एमएसपी निर्धारित करना –

- सरकार ने वर्ष 2018-19 से सभी अधिदेशित खरीफ, रबी और अन्य वाणिज्यिक फसलों के लिए उत्पादन की अखिल भारतीय भारित औसत लागत पर कम से कम 50 प्रतिशत प्रतिफलन के साथ एमएसपी में वृद्धि की है।
- धान (सामान्य) के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य वर्ष 2013-14 में 1310 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 2300 रुपये प्रति क्विंटल हो गया है।
- गेहूं का एमएसपी वर्ष 2013-14 में 1400 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 2275 रुपये प्रति क्विंटल हो गया है।

6. (क) **परंपरागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई)**

देश में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय प्रायोजित कार्यक्रम (सीएसपी) के रूप में भारत सरकार द्वारा वर्ष 2015-16 में परंपरागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) नामक पहली व्यापक योजना शुरू की गई।

" वर्ष 2015-16 से (दिनांक 30.06.2024 तक की स्थिति के अनुसार) कुल 2078.67 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई।
" पीकेवीवाई योजना के अंतर्गत 38,043 क्लस्टर (प्रत्येक 20 हेक्टेयर) का गठन किया गया है, 8.41 लाख हेक्टेयर क्षेत्र (लार्ज एरिया सर्टिफ़िकेशन सहित) को कवर किया गया है।
" उपर्युक्त के अलावा, प्राकृतिक खेती के अंतर्गत 8 राज्यों को 4.09 लाख हेक्टेयर क्षेत्र के लिए फ़ंड जारी किया गया और नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत 272.85 करोड़ रुपये की निधि जारी की गई है, कुल 9551 कलस्टरों का गठन किया गया तथा 1.91 लाख हेक्टेयर क्षेत्र कवर किया गया है।
" उपभोक्ताओं को किसानों से सीधे जोड़कर, उनके द्वारा सीधे उपभोक्ताओं को जैविक उत्पादों की बिक्री को प्रोत्साहित करने के लिए एक समर्पित ऑनलाइन वेब पोर्टल- www.jaivikkheti.in/बनाया गया है। जैविक-खेती पोर्टल पर कुल 6.23 लाख किसानों का पंजीकरण किया गया है।
" पीकेवीवाई योजना के अंतर्गत जैविक उत्पादों के विपणन के लिए राज्य द्वारा विभिन्न ब्रांड विकसित किए गए हैं।
" **सरकार ने ऐसे बड़े पारंपरिक/डिफ़ॉल्ट जैविक क्षेत्रों जैसे पहाड़ों, द्वीपों, आदिवासी या रेगिस्तानी क्षेत्र को प्रमाणित करने के लिए वर्ष** 2020-21 **से लार्ज एरिया सर्टफ़िकेशन (एलएसी) कार्यक्रम की शुरुआत की है जिनका जीएमओ और कृषि रसायन उपयोग संबंधी पिछला इतिहास नहीं है।**

- **इस कार्यक्रम के तहत केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कार निकोबार और नानकौरी द्वीप समूह के अंतर्गत** 14,445 **हेक्टेयर क्षेत्र को सिक्किम के समान इन द्वीपों के पूरे क्षेत्र को जैविक में बदलने के लिए प्रमाणित किया गया है।**
- एलएसी के तहत लद्दाख से 5000 हेक्टेयर क्षेत्र का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है और 11.475 लाख रुपये का फ़ंड जारी किया गया है।
- **लक्षद्वीप की** 2700 **हेक्टेयर क्षेत्र की संपूर्ण कृषि योग्य भूमि को लार्ज एरिया सर्टिफ़िकेशन के तहत जैविक प्रमाणित किया गया है।**
- **सिक्किम राज्य में** 60,000 **हेक्टेयर क्षेत्र के लिए लार्ज एरिया सर्टिफ़िकेशन के तहत** 96.39 **लाख रुपये** का फ़ंड जारी किया गया है।

(ख) पूर्वोत्तर क्षेत्र जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन (एमओवीसीडीएनईआर) योजना: एमओवीसीडीएनईआर योजना का उद्देश्य मूल्य श्रृंखला मोड में वस्तु-विशिष्ट, संकेन्द्रित, प्रमाणित जैविक उत्पादन क्लस्टरों का विकास करना है ताकि उत्पादकों को उपभोक्ताओं से जोड़ा जा सके और इनपुट, बीज, प्रमाणीकरण से लेकर संग्रहण, एकत्रीकरण, प्रसंस्करण, विपणन और पूर्वोत्तर क्षेत्र (अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा) में ब्रांड निर्माण पहल के लिए सुविधाओं के निर्माण तक संपूर्ण मूल्य श्रृंखला के विकास का समर्थन किया जा सके। योजना का मुख्य फोकस उपज के निर्यात पर है। इस योजना को वर्ष 2015-16 के दौरान तीन वर्षों के लिए 400 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ अनुमोदित किया गया था। इस योजना ने तीन-तीन वर्ष के दो चरण पूरे कर लिए हैं और अब यह चरण III में आगे बढ़ रही है।

उपलब्धियों का सार

- वर्ष 2015-16 से कुल 1150.09 करोड़ रुपये जारी किये गये (दिनांक 30.06.2024 तक की स्थिति के अनुसार)।
- 189039 किसानों और 172966 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करते हुए 379 एफपीओ/एफपीसी बनाए गए।
- एफपीओ/एफपीसी और निजी स्वामित्व के तहत 394 संग्रहण, एकत्रीकरण, ग्रेडिंग इकाइयां, कस्टम हायरिंग सेंटर, 123 प्रसंस्करण और पैक हाउस इकाइयां बनाई गईं।
- एफपीओ/एफपीसी को परिवहन हेतु 145 वाहन उपलब्ध कराए गए।
- 7 राज्यों ने अपने स्वयं के ब्रांड विकसित किये।
- अदरक, हल्दी, अनानास और किंग मिर्च के विपणन की सुविधा को बड़ी सफलता मिली है और एफपीसी को बायबैक समझौतों के साथ समर्थन दिया गया है।
- ब्रिटेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और स्वाजीलैंड को किंग चिली सॉस, अनानास (डिब्बाबंद) और अदरक के गुच्छे का निर्यात पहले ही शुरू हो चुका है।
- 3 एफपीसी के साथ आवश्यक बुनियादी इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास के साथ इंडस्ट्री मेंटरशिप मॉडल।
- अरूणांचल प्रदेश में पर्वता फूड्स सहित 3 एफपीओ के साथ 100% बायबैक आश्वासन के साथ अदरक और हल्दी के उत्पादन की संविदा को अंतिम रूप दिया गया।

- अन्य उच्च मूल्य वाली फसलों जैसे पेरिला, काली थाई अदरक और कैलेंडुला फूलों की अनुबंध खेती की प्रक्रिया चल रही है।

ग) राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन

- प्राकृतिक खेती पशुधन और स्थानीय रूप से उपलब्ध संसाधनों पर आधारित रसायन मुक्त खेती का तरीका है जिसमें कोई उर्वरक और कीटनाशकों का उपयोग नहीं किया जाता है। भारत सरकार सीमित क्षेत्र में परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) के तहत एक उप-योजना "भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति - (बीपीकेपी)" के माध्यम से वर्ष 2019-20 से प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रही है।

- बीपीकेपी के अंतर्गत 8 राज्यों आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, केरल, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु में 4.09 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया गया है।

- प्रधानमंत्री ने विभिन्न मंचों पर प्राकृतिक खेती को जन आंदोलन के रूप में बढ़ावा देने की आवश्यकता पर जोर दिया है। माननीय वित्त मंत्री ने भी अपने बजट भाषण में कृषि रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर जोर दिया।

- इसलिए, माननीय प्रधानमंत्री के विजन और बजट घोषणा को प्राप्त करने के लिए, एक समर्पित केंद्र प्रायोजित योजना "राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन (एनएमएनएफ)" शुरू की जा रही है ।

- सचिवों की समिति (सीओएस) और व्यय वित्त समिति (ईएफसी) ने राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन शुरू करने की सिफारिश की है। राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन शुरू करने के लिए मंत्रिमंडल नोट पर काम चल रहा है।

7. प्रति बूंद अधिक फसल (पीडीएमसी)

वर्ष 2015-16 के दौरान शुरू की गई प्रति बूंद अधिक फसल (पीडीएमसी) योजना का उद्देश्य देश में किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए सूक्ष्म सिंचाई (माइक्रो इरिगेशन) प्रौद्योगिकियों अर्थात् ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणालियों के माध्यम से खेत स्तर पर जल उपयोग दक्षता को बढ़ाना है।

वर्ष 2015-16 से 2021-22 के दौरान, प्रति बूँद अधिक फ़सल (पीडीएमसी) को प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) के एक घटक के रूप में कार्यान्वित किया गया था। वर्ष 2022-23 से राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) के तहत पीडीएमसी का कार्यान्वयन किया जा रहा है। सूक्ष्म सिंचाई पानी की बचत के साथ-साथ फर्टिगेशन, श्रम व्यय, अन्य इनपुट लागत के माध्यम से उर्वरक के उपयोग को कम करने और किसानों की समग्र आय बढ़ाने में मदद करती है।

इस योजना के तहत, सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली (माइक्रो इरिगेशन सिस्टम) की स्थापना के लिए छोटे और सीमांत किसानों को 55% और अन्य किसानों को 45% की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। वर्ष 2015-16 से 2022-23 तक, इस योजना के माध्यम से देश में 78.4 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को सूक्ष्म सिंचाई के तहत कवर किया गया है, जो प्रति बूँद अधिक फसल योजना के कार्यान्वित होने से पूर्व आठ वर्षों की अवधि की तुलना में लगभग 81% अधिक है। यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। मार्च 2024 तक कुल 89.87 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया जाएगा।

वर्ष 2020-21 के दौरान नीति आयोग द्वारा पीडीएमसी योजना का एक मूल्यांकन अध्ययन किया गया था, जिससे पता चलता है कि यह योजना राष्ट्रीय प्राथमिकताओं जैसे कि ऑन-फ़ार्म पानी के उपयोग की दक्षता में काफी सुधार करना, फसल उत्पादकता में वृद्धि करना, रोजगार के अवसर पैदा करना आदि के लक्ष्यों को प्राप्त करने से संबंधित है; किसानों की आय में 10% से 69% तक की बढ़ोत्तरी हुई है; जल उपयोग दक्षता में 30% से 70% तक सुधार किया जा चुका है तथा इसके द्वारा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं।

8. माइक्रो इरिगेशन फ़ंड (एमआईएफ): सूक्ष्म सिंचाई के कवरेज के विस्तार के लिए राज्यों को संसाधन जुटाने में सुविधा प्रदान करने के प्रमुख उद्देश्य के साथ नाबार्ड के साथ 5000 करोड़ रुपये के प्रारंभिक कोष से एक माइक्रो इरिगेशन फ़ंड (एमआईएफ) बनाया गया है। वित्त पोषण धनराशि व्यवस्था के तहत, नाबार्ड राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को बाजार से नाबार्ड द्वारा जुटाई गई फंड की लागत की तुलना में 3% कम ब्याज दर पर ऋण देता है। एमआईएफ के तहत ऋण पर ब्याज छूट पीडीएमसी के तहत केंद्र द्वारा वहन की जाती है। एमआईएफ के तहत अब तक 4724.74 करोड़ रुपये की ऋण वाली परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है। राज्यों को 3387.80 करोड़ रुपये का ऋण वितरित किया गया है। मंत्रालय राज्यों द्वारा लिए गए ऋण पर ब्याज छूट प्रदान करता है जो पीडीएमसी योजना से पूरी की जाती है। वर्ष 2021-22 की बजट घोषणा के अनुसार, धनराशि का कोष दोगुना कर 10000 करोड़ रुपये किया जाना है।

9. किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) का संवर्धन

i. 10,000 नए एफपीओ के गठन तथा उनके संवर्धन के लिए बनाई गई नई केंद्रीय क्षेत्र योजना वर्ष 2027-28 तक 6865 करोड़ रुपये के बजट परिव्यय के साथ दिनांक 29 फरवरी, 2020 को माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा लॉन्च की गई।

ii. दिनांक 30 जून 2024 तक, नई एफपीओ योजना के तहत **8,872 एफपीओ** पंजीकृत किए गए हैं। **4,135 एफपीओ** को **209.9 करोड़ रुपये** का इक्विटी अनुदान जारी किया गया है। **1,542 एफपीओ** को **349.28 करोड़ रुपये** का क्रेडिट गारंटी कवर जारी किया गया है।

10. राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन (एनबीएचएम) को वर्ष 2020 में आत्मनिर्भर भारत अभियान के हिस्से के रूप में 500.00 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ 3 वर्षों की अवधि अर्थात 2020-21 से 2022-23 के लिए शुरू किया गया था। वैज्ञानिक मधुमक्खी पालन के समग्र संवर्धन एवं विकास तथा "मीठी क्रांति" के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवंटित बजट 500.00 करोड़ रुपये में से शेष 370.00 करोड़ रुपये के बजट के साथ योजना को तीन वर्षों, अर्थात् वर्ष 2023-24 से 2025-26 तक के लिए बढ़ा दिया गया है।

11. कृषि मशीनीकरण: कृषि को आधुनिक बनाने और कृषि कार्यों की कठिनाई को कम करने के लिए कृषि मशीनीकरण अत्यंत महत्वपूर्ण है। वर्ष 2014-15 से मार्च, 2024 की अवधि के दौरान कृषि मशीनीकरण के लिए 7265.00 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है। सब्सिडी पर किसानों को 18,16,221 मशीनें और उपकरण प्रदान किए गए हैं। किसानों को किराये पर कृषि मशीनों और उपकरणों को उपलब्ध कराने के लिए 25,527 कस्टम हायरिंग सेंटर, 594 हाई-टेक हब और 23,538 फार्म मशीनरी बैंक स्थापित किए गए हैं। वर्ष 2024-25 के दौरान, राज्यों को 69.99 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

12. नमो ड्रोन दीदी: सरकार ने हाल ही में महिला स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को 1261 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ ड्रोन प्रदान करने के लिए केंद्रीय सेक्टर योजना को भी मंजूरी दी है। इस योजना का लक्ष्य कृषि उद्देश्य (उर्वरकों और कीटनाशकों के अनुप्रयोग) के लिए किसानों को किराये की सेवाएं प्रदान करने के लिए 15000 चयनित महिला एसएचजी को ड्रोन प्रदान करना है। कुल

15,000 ड्रोनों में से, पहले 500 ड्रोन वर्ष 2023-24 में लीड फर्टिलाइजर कंपनियों (एलएफसी) द्वारा चयनित एसएचजी को वितरण के लिए अपने आंतरिक संसाधनों का उपयोग करके खरीदे जाएंगे। शेष 14500 ड्रोन इस योजना के तहत प्रदान किए जाएंगे और ड्रोन की लागत का 80% और सहायक उपकरण/सहायक शुल्क अधिकतम 8.0 लाख रुपये तक केंद्रीय वित्तीय सहायता ड्रोन की खरीद के लिए महिला एसएचजी को प्रदान की जाएगी। एसएचजी के क्लस्टर लेवल फेडरेशन (सीएलएफ) राष्ट्रीय एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फ़ंडिंग (एआईएफ) के तहत ऋण के रूप में शेष राशि (खरीद की कुल लागत घटाकर सब्सिडी) बढ़ा सकते हैं। सीएलएफ को एआईएफ ऋण पर 3% की दर से ब्याज छूट प्रदान की जाएगी। यह योजना किसानों के लाभ के लिए बेहतर दक्षता, फसल की पैदावार बढ़ाने और संचालन की कम लागत के लिए कृषि में उन्नत प्रौद्योगिकी को शामिल करने में मदद करेगी। यह योजना एसएचजी को सतत व्यवसाय और आजीविका सहायता भी प्रदान करेगी और वे प्रति वर्ष कम से कम 1.0 लाख रुपये की अतिरिक्त आय अर्जित करने में सक्षम होंगे।

13. **किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड प्रदान करना:** पोषक तत्वों के इष्टतम उपयोग के लिए वर्ष 2014-15 में मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना शुरू की गई थी। किसानों को जारी कार्ड्स का विवरण निम्नानुसार है-

- चरण-I (वर्ष 2015 से 2017) – 10.74 करोड़
- चरण-II (वर्ष 2017 से 2019) - 12.19 करोड़
- आदर्श ग्राम कार्यक्रम (वर्ष 2019-20) - 23.71 लाख
- वर्ष 2020-21 में- 14.57 लाख
- वर्ष 2021-22 में - राज्यों/केंद्र शासित प्रदेश को मिट्टी के सैंपल के लिए कोई फ़ंड आवंटित नहीं किया गया है।
- वर्ष 2022-23 में- 36.73 लाख
- वर्ष 2023-24 में- 36.76 लाख
- वर्ष 2024-25 में- 1.99 लाख

जैव-उत्प्रेरकों (बायो-स्टिमुलेंट्स) के संवर्धन के लिए विनियम जारी किए जाते हैं। नैनो यूरिया, उर्वरक नियंत्रण आदेश के तहत शामिल है।

14. ई-नाम विस्तार प्लेटफार्म की स्थापना

i. ई-नाम प्लेटफॉर्म के साथ 23 राज्यों और 04 केंद्र शासित प्रदेशों की 1389 मंडियों को जोड़ा गया है।

ii. दिनांक 30 जून, 2024 तक, 1.77 करोड़ किसानों और 2.59 लाख व्यापारियों को ई-नाम पोर्टल पर पंजीकृत किया गया है। ई-नाम प्लेटफॉर्म पर कुल 9.94 करोड़ मीट्रिक टन और 36.39 करोड़ (बांस, पान के पत्ते, नारियल, नींबू और स्वीट कॉर्न) का कुल मिलाकर लगभग 3.59 लाख करोड़ रुपये का व्यापार दर्ज किया गया है।

15. **राष्ट्रीय खाद्य तेल - ऑयल पाम मिशन की शुरुआत**: अगस्त, 2021 के दौरान नई केंद्रीय प्रायोजित योजना नामतः राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन (एनएमईओ)-ऑयल पाम (एनएमईओ-ओपी) शुरू किया गया जिसका उद्देश्य ऑयल पाम क्षेत्र के विस्तार का उपयोग करके देश में खाद्य तेलों की उपलब्धता को बढ़ाना, सीपीओ उत्पादन में वृद्धि करना और खाद्य तेल के संबंध में आयात का बोझ कम करना है। इस मिशन के तहत वर्ष 2021-22 से वर्ष 2025-26 तक अगले 5 वर्षों में 11,040 करोड़ रूपये के कुल परिव्यय के साथ ऑयल पाम वृक्षारोपण के अंतर्गत 6.5 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र शामिल किया जाएगा, जिसमें पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 3.28 लाख हेक्टेयर और शेष भारत के लिए 3.22 हेक्टेयर क्षेत्र होगा।

16. **एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फ़ंड:** देश में एक लाख करोड़ रुपये की एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फ़ंड (एआईएफ) योजना को देश में कृषि इन्फ्रास्ट्रक्चर में सुधार करने हेतु प्रोत्साहन और वित्तीय सहायता

के माध्यम से फसलोपरांत प्रबंधन इन्फ्रास्ट्रक्चर और सामुदायिक कृषि संपत्तियों के लिए व्यवहार्य परियोजनाओं में निवेश के लिए एक मध्यम-दीर्घकालिक ऋण वित्तपोषण सुविधा जुटाने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फ़ंड के तहत निम्नलिखित सहायता प्रदान की जा रही है।

17. कृषि उपज लॉजिस्टिक्स तंत्र में सुधार, किसान रेल की शुरूआतः किसान रेल को रेल मंत्रालय द्वारा शीघ्र खराब होने वाली कृषि बागवानी वस्तुओं की आवाजाही को आसान करने के लिए शुरू किया गया है। पहली किसान रेल जुलाई 2020 में शुरू की गई थी। दिनांक 28 फरवरी 2023 तक 167 रूटों पर 2359 सेवाएं संचालित की गई हैं।

18. समेकित बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच): वर्ष 2014-15 से 2023-24 तक एमआईडीएच की एनएचएम/एचएमएनईएच योजना के प्रमुख घटक के तहत वास्तविक प्रगति का विवरण निम्नानुसार है:

- क्षेत्र विस्तारः- चिन्हित बागवानी फसलों के 13.79 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र को कवर किया गया है।
- पौधशालाएँ:- गुणवत्तापूर्ण पौध सामग्री के उत्पादन हेतु 905 पौधशालाएँ स्थापित की गई हैं।
- पुनरूद्धारः- पुराने और जीर्ण बागानों के 1.48 लाख हेक्टेयर क्षेत्र का पुनरूद्धार किया गया है।
- जैविक खेती:- जैविक पद्धतियों के तहत 52259 हेक्टेयर क्षेत्र कवर किया गया है।
- संरक्षित खेती:- संरक्षित खेती के तहत 3.04 लाख हेक्टेयर क्षेत्र कवर किया गया है।
- जल संसाधनः- 54630 वाटर हारवेस्टिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया गया है।
- मधुमक्खी पालन:- छत्तों सहित 16.30 लाख मधुमक्खी कालोनियों का वितरण किया गया है।
- बागवानी मशीनीकरण:- 2.73 लाख बागवानी मशीनीकरण उपकरण वितरित किए गए हैं।
- फसलोपरांत प्रबंधन इन्फ्रास्ट्रक्चर: - 1.27 लाख फसलोपरांत प्रबंधन इकाईयों की स्थापना की गई है।
- मंडी इन्फ्रास्ट्रक्चर:- 15923 मंडी इन्फ्रास्ट्रक्चर स्थापित किए गए हैं।
- किसानों का प्रशिक्षण:- मानव संसाधन विकास के तहत 9.73 लाख किसानों को विभिन्न बागवानी गतिविधियों के तहत प्रशिक्षित किया गया है।

19. कृषि और संबद्ध क्षेत्र में स्टार्ट-अप व्यवस्था का निर्माणः वित्तीय वर्ष 2019-20 से वर्ष 2023-24 के दौरान अब तक 1708 स्टार्ट-अप्स को विभिन्न नॉलेज पार्टनर्स (केपी) और एग्रीबिजनेस इन्क्यूबेटर्स (आर-एबीआई) द्वारा चुना गया है। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के आरकेवीवाई कृषि-स्टार्टअप कार्यक्रम के तहत इन स्टार्ट-अप्स की फ़ंडिंग के लिए संबंधित केपी और आर-एबीआई को किस्तों में सहायता अनुदान के रूप में 122.50 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

20. कृषि एवं संबद्ध कृषि-वस्तुओं के निर्यात में उपलब्धिः देश ने कृषि एवं संबद्ध वस्तुओं के निर्यात में जबरदस्त वृद्धि दर्ज की है। पिछले वर्ष की तुलना में महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज करने वाली प्रमुख वस्तुओं में बासमती चावल 21.92% (4787.65 से 5837.13 मिलियन अमरीकी डॉलर), भैंस का मांस 17.11% (3193.69 से 3740.16 मिलियन अमरीकी डॉलर), मसाले 12.17% (3785.36 से 4245.99 मिलियन अमरीकी डॉलर), कच्चे कपास सहित वेस्ट 55.13% (781.43 से 1115.49 मिलियन अमरीकी डॉलर), ताजे फल 32.46% (864.62 से 1145.24 मिलियन अमरीकी डॉलर), विविध प्रसंस्कृत वस्तुएं 37.88% (1421.64 से 1652.22 मिलियन अमरीकी डॉलर) आदि शामिल है।

*****